न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

प्रकरण संख्या 01/ 2025

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60 एवं 66,86 के अन्तर्गत स्थायी रूप से चालू रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कराने बाबत ।

आदेश **दिनांक 28.01.2025**

तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 एवं राजस्थान भू राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 58, 59 व 60, एवं 66,86 के अन्तर्गत ग्राम सुन्दरपुर के आराजी ख.नं. 1121/401 किस्म बंजड रकबा 0.1840 है0 में से 0.1770 है0 भूमि पर चालू रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि उक्त ख.नं. में से रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि जिस नक्शा ट्रेस मे लाल स्याही से दर्शाया है पर स्थाई रूप से सार्वजनिक रास्ता बना हुआ है। एवं रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि अभिलिखित नहीं है तथा भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है। तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग में आ रही भूमि का नक्शा ट्रेस संलग्न कर लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ते का अंकन करते हुए राजस्व मानचित्र एवं राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का निवेदन किया है।

हमने तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं उसके साथ संलग्न नक्शा ट्रेस एवं नकल जमाबन्दी सम्बत् 2076 से 79 का अवलोकन किया। आराजी खसरा नम्बर 1121/401 ग्राम सुन्दरपुर किस्म बंजड वाके ग्राम सुन्दरपुर खाता संख्या 01 में दर्ज रिकॉर्ड है। दर्ज रिकॉर्ड है। राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प.3(2)राज–6/2003 पार्ट दिनांक 10.8.2016 के द्वारा राजकीय भूमि /निजि खातेदारी की भूमि में से मौके पर स्थाई रूप से चालू एंव राजस्व नक्शे में रेखा बिन्दुओ से दर्ज सार्वजनिक रास्ते कई जगह जहां कच्ची या पक्की सडक भी बन गई है को राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज करने हेतु उपखण्ड अधिकारियो को शक्तियां प्रदान की गई है। उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तावित भूमि को राजस्व रिकॉर्ड एंव राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिया जाना उचित समझती हूँ

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

अतः आदेश है कि ग्राम नकटपुरा तहसील व जिला धौलपुर के आराजी खसरा नम्बर 21/401 किस्म बंजड रकवा 0.7840 है0 में से 0.1770 है0 भूमि जिस पर रास्ता मौके पर लू है एवं उपयोग में आ रहा है को राजस्व रिकॉर्ड एंव राजस्व मानचित्र में गैर मुमकिन स्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है शेष रकवा यथावत रहेगा। तहसीलदार धौलपुर । आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त भूमि को गैर मुमकिन स्ता दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रस्तावित मानचित्र अनुसार जस्व मानचित्र में लाल स्याही से तरमीम की जावे प्रस्तावित नक्शा ट्रेस इस आदेश का भाग गा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में नाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
धौलपुर (राज0)

नांकः कोर्ट/रास्ता प्रकरण/2024/140 दिनांकः 5/2/2025

तेलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
श्रीमान जिला कलक्टर धौलपुर
तहसीलदार धौलपुर को पालना हेतु प्रेषित है। पालना सुनिश्चित कर रिपोर्ट से अवगत ावें।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर
धौलपुर (राज0)